चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 25.02.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में अपराध निरीक्षक मऊ श्री अंजनी कुमार सिंह मय हमराह बृजेन्द्र राय द्वारा मु0नं0 270/2006 मु0अ0सं0 28/2006 धारा 279,304ए भा0द0वि0 के वारण्टी अभियुक्त मिंथलेश सिंह पुत्र सूरजभान सिंह उम्र करीब 50 वर्ष निवासी एलआईसी चौराहा के पास सदर बाजार कर्वी जनपद चित्रकूट व उ0नि0 श्री ओमप्रकाश सिंह थाना मऊ द्वारा मु0अ0सं0 161/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त भोला केवट पुत्र धानू केवट निवासी कटैया खादर थाना मऊ जनपद चित्रकूट उम्र करीब 42 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

(3).आज दिनांक 25.02.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार द्वारा पुलिस लाइन चित्रकूट में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों का सैनिक सम्मेलन किया गया तथा मेला प्रबन्धन में अनुशासन, कर्तव्यपरायणता, संवेदनशीलता बनाये रखने के सम्बन्ध में बताया गया। यदि मेला स्नान पर्व से सम्बन्धित है तो क्या क्या आवश्यकताएं होगी उसके सम्बन्ध में बताया गया तथा मेला में आने वाले श्रद्धालुओ के साथ मृदभाषी व्यवहार,अच्छा आचरण,आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग न करने एवं विभागीय नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश शामिल हैं।
महोदय द्वारा रिक्रूट आरक्षियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रशिक्षण के दौरान तथा बाद में कर्तव्यनिष्ठा का पालन करें। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पर कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी साथ ही आरक्षियों को सोशल मीडिया नीति का सख्ती से पालन करने का निर्देश है। विभागीय गोपनीय जानकारी साझा न करने, आपत्तिजनक पोस्ट न करने एवं संस्था की गरिमा बनाए रखने पर जोर दिया गया। उल्लंघन पर तत्काल अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक आरटीसी श्री शिवमूरत यादव व अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

(4). आज दिनाँक 25.02.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री श्याम प्रताप पटेल की अध्यक्षता में चौकी प्रभारी सीतापुर श्री यदुवीर सिंह,चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग श्री अरविन्द सिंह की उपस्थिति में थाना कोतवाली कर्वी में आगामी होली एवं ईद त्यौहार को सकुशल शांतिपूर्वक,सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाने हेतु क्षेत्र के सम्भ्रांत नागरिकों, धर्म गुरुओं, ग्राम प्रधान की पीस कमेटी की बैठक की गई जिसमें लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण व सकुशल त्योहार मनाए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
इस गोष्ठी में हिन्दु-मुस्लिम दोनों समुदायों के सदस्यों से वार्ता कर भाईचारे एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने की अपील की गयी तथा शासन के दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में बताया गया ।

(5).आज दिनांक 25.02.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी यातायात श्री यामीन अहमद की उपस्थिति में पुलिस लाइन चित्रकूट स्थित कान्हा सभागार में यातायात पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य जनपद में यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, व्यवस्थित एवं तकनीकी रूप से सक्षम बनाना तथा स्मार्ट ट्रैफिकिंग प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करना रहा।
बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निम्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए—
(1).स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत सीसीटीवी कैमरों की नियमित मॉनिटरिंग एवं ई-चालान प्रणाली को और प्रभावी बनाने के निर्देश।
(2).प्रमुख चौराहों एवं बाजार क्षेत्रों में यातायात दबाव का विश्लेषण कर समयानुसार ड्यूटी निर्धारण।
(3).नो-पार्किंग जोन में सख्ती से कार्रवाई करते हुए यातायात बाधित करने वाले वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाने के निर्देश।
(4).स्कूल, कॉलेज एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर विशेष यातायात व्यवस्था लागू करने पर बल।
(5).हेलमेट एवं सीट बेल्ट चेकिंग अभियान को निरंतर चलाने तथा यातायात नियमों के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाने हेतु जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश।
(6).दुर्घटना संभावित स्थलों (ब्लैक स्पॉट) की पहचान कर सुधारात्मक कदम उठाने तथा त्वरित सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश।
(7).शराब पीकर वाहन चलाने से हो रही दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाकर वाहनों का चालान व सीज करने हेतु निर्देश।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा बताया गया कि आधुनिक तकनीक का उपयोग कर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना समय की आवश्यकता है। स्मार्ट ट्रैफिकिंग के माध्यम से न केवल यातायात जाम की समस्या कम होगी, बल्कि दुर्घटनाओं में भी कमी लाई जा सकेगी। उन्होंने सभी यातायात कर्मियों को सतर्कता, संयम एवं जनता से समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने हेतु प्रेरित किया।
बैठक में यातायात प्रभारी श्री हरीराम यादव सहित समस्त यातायात पुलिसकर्मी उपस्थित रहे।
चित्रकूट पुलिस आमजन से अपील करती है कि यातायात नियमों का पालन करें एवं सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री निशिकान्त राय एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सिविल जज सी0डी0 श्री अंशुमान यादव द्वारा आज दिनाँक 25.02.2026 को थाना मारकुण्डी में पंजीकृत मु0अ0सं0 35/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त रितुराज मवासी पुत्र रामलखन मवासी निवासी ग्राम जमुनिहाई थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक व 2930/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री निशिकान्त राय एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सिविल जज सी0डी0 श्री अंशुमान यादव द्वारा आज दिनाँक 25.02.2026 को थाना मारकुण्डी में पंजीकृत मु0अ0सं0 34/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त पन्नू मवासी पुत्र जियालाल निवासी ग्राम जमुनिहाई थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक व 2930/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।